



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 25, 2018/कार्तिक 3, 1940

No. 769]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2018/KARTIKA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2018

**सा.का.नि. 1065(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, आशुलिपिक श्रेणी I, समूह 'ख' पद पर भर्ती नियम 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, आशुलिपिक श्रेणी I, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, आशुलिपिक श्रेणी I, समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2018, अनुसूची के, कॉलम (12) में, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. निदेशक, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता-अध्यक्ष;
2. कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता-सदस्य;
3. कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता-सदस्य;

[फा.सं. 02/03/2012-सी.एस.जेड]

मंजू पाण्डे, संयुक्त सचिव (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

**टिप्पणः** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा. का. नि. 529 (अ) तारीख 6 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2018

**G.S.R. 1065(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Stenographer Grade I, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2018, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Stenographer Grade I, Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Stenographer Grade I, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2018, in the Schedule, in column (12), after the entries, the following entries shall be inserted, namely:—

“Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—

1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata -Chairman;
2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata- Member;
3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata- Member.”.

[F.No. 02/03/2012-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 529 (E), dated the 6th June, 2018.